अनुक्रमांक. **सेट** C

पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2025

(पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 126 के तहत)

प्रश्न पत्र - 1

समय: पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 12:30 (दो घंटे) **पूर्णांक**: 100

अनुदेश:

1. इस प्रश्न पत्र के 5 भाग हैं: भाग A (30*2=60 अंक),

   भाग B1 (5*1=5 अंक), भाग B2 (5*1=5अंक), एवं

   भाग C1 (5*3=15 अंक), भाग C2 (5*3=15अंक)

2. सभी प्रश्न अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी उत्तर देने से पहले प्रश्नों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
4. परीक्षा के दौरान किसी तकनीकी/वैधानिक पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा।
5. कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।
6. "अधिनियम" और "नियम" के सभी संदर्भों को क्रमश:पेटेंट अधिनियम, 1970 और पेटेंट नियम 2003, अब तक यथा संशोधित तथा उससे संबंधित अनुप्रयोग के रूप में पढ़ा जाए, सिवाय इसके कि जब इसे विशेष रूप से डिजाइन अधिनियम, 2000 और डिजाइन नियम, 2001 यथा संशोधित के संदर्भ में संदर्भित किया गया हो।
7. प्रश्नों में दी गई सभी स्थितियाँ/परिदृश्य काल्पनिक हैं।
8. जहां कहीं भी तारीख का उल्लेख है, उसे dd/mm/yyyy स्वरूप में पढ़ा जाएगा।
9. कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा या उसे परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी (i) परीक्षा के लिए निर्धारित समय का आधा पूर्ण होने तक; (ii) उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना; और (iii) पर्यवेक्षक को अपना OMR पत्रक / उत्तर पुस्तिका विधिवत तरीके से जमा किए बिना।
10. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय पूर्ण होने के पहले परीक्षा कक्ष छोड़ना चाहता है तो वह अपना प्रश्न पत्र जमा करके ऐसा कर सकता है।

भाग A

भाग A में बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रत्येक 2 अंक वाले 30 प्रश्न हैं जिनका केवल एक विकल्प सही है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

1. **अविनाश ने किसी वर्ग के अंतर्गत एक डिजाइन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। किंतु आवेदक की लापरवाही के कारण आवेदन परित्यक्त हो गया। हालांकि, वह उसी डिजाइन के लिए नया आवेदन करने का निर्णय लेता है। इस संदर्भ में इनमें से कौन सा/से सत्य है/हैं**
   1. प्रथम आवेदन नये आवेदन के लिए पूर्व कला (प्रायर आर्ट) बन जाएगा।
   2. परित्यक्त होने के उपरांत, समान डिजाइन के लिए नया आवेदन करना सम्भव नहीं था।
   3. समान डिजाइन के लिए नया आवेदन करना संभव है यदि पूर्व आवेदन परित्यक्त हो गया है और पूर्व आवेदन पूर्व कला (प्रायर आर्ट) नहीं हो सकता है।
   4. समान वर्ग में नया आवेदन करना सम्भव नहीं है।

   A. केवल 3 **B.**उपरोक्त सभी **C.**केवल 3 एवं 4 **D.**केवल 1, 2 और 3

2. **डिजाइन अधिनियम के अंतर्गत किसी वस्तु के डिजाइन के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है**
   1. किसी विशेष वर्ग में शामिल किसी भी या सभी वस्तुओं के संबंध में डिजाइन पंजीकृत किया जा सकता है।
   2. किसी वस्तु के वर्ग का निर्णय करने का सक्षम प्राधिकारी नियंत्रक होता है।
   3. किसी डिजाइन आवेदन को नवीन डिजाइन न मानकर इस आधार पर अमान्य किया जाएगा, कि समान डिजाइन को किसी अन्य वस्तु के लिए विभिन्न वर्ग की वस्तुओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
   4. डिजाइन पंजीकरण की वर्गीकरण प्रणाली में 31 विभिन्न वर्ग हैं और एक विविध वर्ग है।

   A. 1, 2 और 4 सत्य हैं **B.** केवल 1, 2 और 3 सत्य हैं **C.**कोई भी सत्य नहीं है **D.** सभी सत्य हैं

3. **सुश्री देविका ने पेटेंट एजेंट परीक्षा उत्तीर्ण की है और वे अपने नाम का पंजीकरण पेटेंट एजेंट रजिस्टर में कराना चाहती हैं। वे अपना विवरण _____ दाखिल करके भरेंगी। 4 वर्षों के पश्चात, फीस न भरने के कारण, उनका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया। उन्होंने अपनी गलती सुधारी और वे रजिस्टर में अपने नाम का प्रत्यावर्तन करवाना चाहती हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए _____ पर आवेदन करना होगा।**

   A. फॉर्म-22, फॉर्म-23 **B**. फॉर्म-23, फॉर्म-22 **C**. फॉर्म-22, फॉर्म-20 **D**. फॉर्म-21, फॉर्म-20

4. **श्री अरुण एमिनेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सह-प्राध्यापक हैं। उन्होंने दो पेटेंट आवेदन** A1 **दिनांक** 19/02/2024 **को और** A2 **दिनांक** 20/03/2024 **को दाखिल किए हैं।** 05/11/2024 **को उनके कॉलेज में एक आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान, उन्हें पता चला कि पेटेंट आवेदन के परीक्षण के लिए, परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल करना होता है। उनके दोनों आवेदनों के लिए परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल करने की निर्धारित समयसीमा क्या होगी**:

   A. A1 हेतु 19/09/2026 से पूर्व और A2 हेतु 20/10/2026 से पूर्व

   B. A1 हेतु 19/02/2028 से पूर्व और A2 हेतु 20/03/2028 से पूर्व

   C. A1 हेतु 19/02/2028 से पूर्व और A2 हेतु 20/10/2026 से पूर्व

   D. A1 हेतु 19/09/2026 से पूर्व और A2 हेतु 20/03/2028 से पूर्व

5. **यदि**

X:ज्ञात पदार्थ; **Y:**ज्ञात पदार्थ का नया रूप;

P:किसी ज्ञात पदार्थ का नया गुण या नया उपयोग**;**

A:ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण;

C:ज्ञात प्रभावकारिता में वृद्धि;

C^c : C के पूरक को दर्शाता है (तात्पर्य यह है कि प्रभावकारिता में कोई वृद्धि नहीं)

अतः, पेटेंट अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3(घ) के अंतर्गत पेटेंट योग्य तथा पेटेंट अयोग्य का संक्षिप्त में वर्णन ऐसे किया जा सकता है :

A. पेटेंट अयोग्य = $(Y \cap C^c) \cup (P \cup A)$;

पेटेंट योग्य = $(Y \cap C) \cup (A \cap$ (नवीन अभिकारक$)) \cup (A \cup$ (नवीन उत्पाद))

B. पेटेंट योग्य = $(Y \cap C^c) \cup (P \cup A)$;

पेटेंट अयोग्य = $(Y \cap C) \cup (A \cap$ (नवीन अभिकारक$)) \cup (A \cup$ (नवीन उत्पाद))

C. पेटेंट योग्य = $(Y \cap C^c) \cup (P \cup C)$;

पेटेंट अयोग्य = $(Y \cap C) \cup (A \cap$ (नवीन अभिकारक$)) \cup (A \cup$(नवीन उत्पाद))

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

6. **भारतीय प्रवासी श्री कुंदन ने 1 जनवरी, 2022 को यूरोपीय पेटेंट ऑफिस (ईपीओ) में एक पेटेंट आवेदन दाखिल किया। उस आवेदन ने कंवेंशन मार्ग से 23 दिसम्बर, 2022 को भारत में प्रवेश किया। प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफईआर) प्राप्त करने के उपरांत, आवेदक को धारा 39 के अंतर्गत लिखित अनुज्ञा, जिसमें भारत से बाहर पेटेंट दाखिल करने से पूर्व अनुज्ञा आवश्यक है, उससे संबंधित आपत्ति प्राप्त हुई। इस आपत्ति के उत्तर में, एफईआर प्राप्त करने के उपरांत, आवेदक ने फॉर्म 25 दाखिल कर धारा 39 के अंतर्गत कार्योत्तर अनुज्ञा के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?**

A. जब आवेदन ने कन्वेन्शन मार्ग से भारत में प्रवेश किया है तो धारा 39 के तहत फॉर्म 25 दाखिल कर कार्योत्तर अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है।

B. केवल पीसीटी आवेदनों के लिए धारा 39 के अंतर्गत फॉर्म 25 दाखिल कर कार्योत्तर अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है।

C. जब आवेदन ने भारत में कन्वेन्शन माध्यम से प्रवेश किया है तो धारा 39 के अंतर्गत अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

D. इस अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत उसका आवेदन परित्यक्त माना जाएगा।

7. **डॉ. चन्दन हाइड्रा पावर टेक्नालजी (एचपीटी) के पूर्व कर्मचारी हैं और वे हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास में शामिल थे। उन्हें हाल ही में एचपीटी को प्राप्त एक अनुदानित पेटेंट के विषय में पता चला, जिसमें उन्होने दावा की गई विषय वस्तु पर अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। तथापि, उनके नाम को अनुदानित पेटेंट रजिस्टर व पूर्ण विनिर्देश में शामिल नहीं किया गया था। डॉ. चंदन पेटेंट अधिनियम में आविष्कारक के रूप में अपना नाम शामिल करने की संभावनाओं को तलाशने के इच्छुक हैं। उन्हें आवेदक एचपीटी से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद नहीं है क्योंकि उनके बीच अब सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रहे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संभव है?**

A. पेटेंट रजिस्टर व पूर्ण विनिर्देश में अब डॉ. चन्दन के नाम को शामिल नहीं किया जा सकता है

B. डॉ. चंदन उक्त पेटेंट में आविष्कारक के रूप में अपना नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 8 दाखिल कर सकते हैं, साथ ही उन परिस्थितियों का विवरण भी दे सकते हैं जिनके तहत यह आवेदन किया गया है।

C. केवल आवेदक/पेटेंटधारी एचपीटी फॉर्म 8 में डॉ. चन्दन को शामिल करने का आवेदन कर सकते हैं और कोई और नहीं

D. डॉ. चन्दन को पैटंट में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करने से पूर्व पेटेंटधारी एचपीटी से अनुमोदन/सहमति प्राप्त करनी होगी।

8. एक विदेश आधारित कंपनी मेगमा कॉर्प ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए पेटेंट आवेदन किया है। परीक्षण के दौरान, नियंत्रक को संदेह हुआ कि ऐसा यंत्र सुस्थापित प्रकृति नियमों के विरुद्ध है अतः उसकी औद्योगिक प्रयोज्यता नहीं होगी। अपनी शंका को दूर करने के लिए कि दावा किया गया यंत्र निरंतर गति मशीन (परपिचुयल मोशन मशीन) तो नहीं है, नियंत्रक ने पूर्ण विनिर्देश के पूरक के रूप में आवेदक को दावा किए गए आविष्कार का कार्यशील मॉडल लाने के लिए कहा। इस संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसकी अनुमति है:

A. पूर्ण विनिर्देश सदैव लिखित दस्तावेज़ होता है और नियंत्रक उसे पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त मॉडल या नमूने की अपेक्षा नहीं कर सकती है।

B. नियंत्रक केवल घरेलू आवेदकों से मॉडल/नमूने मांग सकता है और विदेशी आवेदकों से नहीं।

C. नियंत्रक मॉडल/नमूना मांग सकता है, किन्तु वह पूर्ण विनिर्देश का भाग नहीं माना जाएगा।

D. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है।

9. प्रो. संदीप को पता चला कि उनके एक विद्यार्थी ने उनका नाम शामिल किए बिना अपने शोध कार्य को पेटेंट किया है। आपने, उनके पेटेंट एजेंट के रूप में, अनुदानोत्तर विरोध कार्रवाई के दौरान सफलतापूर्वक साबित कर दिया कि पूर्ण विनिर्देश में दावा किए गए किसी भी दावे में जिस आविष्कार का दावा किया गया है वह प्रोफेसर संदीप से धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ए) में निर्धारित तरीके से गलत तरीके से प्राप्त किया गया था। अतः नियंत्रक ने अनुदानित पेटेंट के प्रतिसंहरणका निदेश दिया। अब,पेटेंट में प्रो. संदीप के नाम का संशोधन करने के लिए आपको _____ माह में फॉर्म _____दाखिल करना होगा।

A. 10, 6 **B.** 12, 3 **C.** 17, 3 **D.** 15, 6

10. निम्नलिखित प्रतिसंहरण के आधारों में से कौन सा अनुदानोत्तर विरोध का आधार नहीं है?

A. कि आवेदक ने धारा 35 के किसी गोपनीयता निदेश का उल्लंघन किया अथवा भारत से बाहर पेटेंट हेतु आवेदन को धारा 39 के उल्लंघन में आवेदन किया या करने के लिए उत्तरदायी है;

B. अधिनियम के अनुसार पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे का विषय आविष्कार नहीं है;

C. कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार प्रत्यक्ष है या उसमे कोई आविष्कारी चरण नहीं है,सार्वजनिक रूप से सबको पता है या भारत में अथवा कहीं और या जो पूर्विक्ता तिथि से पूर्व भारत में अथवा कहीं और प्रकाशित हुआ है;

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

11. मुथुस्वामी ने मूल पेटेंटी, प्रिया से पेटेंट का अनन्य लाइसेंस प्राप्त किया है। कुछ माह के बाद, मुथुस्वामी देखता है कि कोई तीसरा पक्ष उनके अनन्य लाइसेंस के अधीन पेटेंट अधिकारों का अतिलंघन कर रहा है। वह कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। इस स्थिति में,पेटेंट अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के आधार पर, मुथुस्वामी के कानूनी अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

i. मुथुस्वामी अतिलंघन करने वाले पर मुकदमा कर सकता है और उसके पास कानूनी कार्रवाई करने का पेटेंटी (प्रिया) के समान अधिकार हैं।

ii. न्यायालय हरजाने का आदेश देते वक्त मुथुस्वामी को हुए किसी नुकसान को निरंदाज करेगा।

iii. प्रिया को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जा सकता है, यदि वह पहले से ही वादी के रूप में मुकदमे में का भाग ना हो।

iv. प्रिया, एक बार प्रतिवादी के रूप में जुड़ने के उपरांत, सभी हरजानों के लिए उत्तरदायी होगी चाहे मुकदमे में उनकी प्रतिभागिता कैसी भी हो।

A. केवल (i) और (ii)

B. केवल (i), (iii) और (iv)

C. केवल (ii)और (iv) केवल

D. केवल (i) और (iii)

12. अतिलंघन के मुकदमे में, आपका मुवक्किल न्यायालय में यह सिद्ध करने में सफल रहा कि पेटेंटी के दावों के कुछ भाग पेटेंटी ने गलत तरीके से प्राप्त किए हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उपरोक्त स्थिति के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं:

i. पूरे पेटेंट का प्रतिसंहरण किया जाए

ii. जिन दावों का मुकदमा किया गया है उनको छोड़कर पेटेंट का संशोधन किया जाए

iii. याचिका में संपूर्ण पेटेंट अधिकार आपके मुवक्किल (कलाएंट) को हस्तांतरित/अनुदानित किए जाएँ

iv. आपके मुवक्किल को पेटेंटधारी द्वारा गलत तरीके से प्राप्त किए गए दावों के लिए एक पेटेंट अनुदान किया जा सकता है।

A. केवल i और iii **B**. केवल ii और iv **C**. केवल ii और iii **D**. केवल i और iv

13. वैश्विक तौर पर पेटेंट प्रकाशित करने की प्रमुख वर्गीकरण प्रणालियों के आधार पर,उदाहरण का वर्गीकरण प्रणाली से मिलान करें

वर्गीकरण प्रणाली	उदाहरण
1. आईपीसी (IPC)	(a) 57/224
2. सीपीसी (CPC)	(b) Y02A 10/00
3. एफ़आई/एफ़-टर्म (FI/F-Term)	(c) G06F 1/16
4. यूएस वर्गीकरण (US Classification)	(d) G06F 1/16 312M 5E322

A. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b **B.**1-b, 2-c, 3-a, 4-d **C.** 1-c, 2-b, 3-a, 4-d **D.** 1-c, 2-b, 3-d, 4-a

14. मिंटी कॉर्पोरेशन 6 जी (6G) प्रौद्योगिकी पर कार्य प्रारम्भ करने का इच्छुक है। उसे पता चला कि याकुल इंक. ने समान प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल किया है। हालांकि, पेटेंट कार्यालय द्वारा उसका परीक्षण अभी नहीं हुआ है क्योंकि याकुल इंक. द्वारा कोई परीक्षण हेतु अनुरोध (आरएफ़ई) दाखिल नहीं हुआ है। यह निर्णय लेने के लिए कि वे इस प्रौद्योगिकी पर कार्य करें या नहीं, मिंटी कॉर्पोरेशन याकुल इंक. द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदन के लिए परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल करने का निर्णय लेता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है:

A. याकुल इंक. कंपनी द्वारा दाखिल आवेदन के लिए आरएफ़ई (RFE)दाखिल करने के लिए मिंटी कॉर्पोरेशन पात्र नहीं है।

B. मिंटी कॉर्पोरेशन आरएफ़ई (RFE) दाखिल कर सकता है, तथापि, परीक्षण रिपोर्ट आवेदक अर्थात याकुल इंक. को प्रेषित की जाएगी।

C. मिंटी कॉर्पोरेशन, याकुल इंक. कंपनी द्वारा दाखिल आवेदन हेतु, आरएफ़ई (RFE)दाखिल कर सकता है, परंतु वह परीक्षण हेतु त्वरित अनुरोध नहीं हो सकता।

D. उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है।

15. दिनांक 01/06/2023 की पूर्विक्ता तारीख का एक पेटेंट, पेटेंट कार्यालय में दिनांक 01/01/2024 को दाखिल किया गया। नियंत्रक ने धारा 35 के अंतर्गत आवेदन को गोपनीयता हेतु चिह्नित किया और केंद्र सरकार से अनुमति मांगी। केंद्र सरकार को एक संचार प्रेषित किया गया। तथापि, केंद्र सरकार ने आवेदन को हानिकारक नहीं माना और परिणामस्वरूप नियंत्रक द्वारा दिनांक 06/06/2024 को गोपनीयता निदेश हटा दिया गया। इस स्थिति में,आवेदन का प्रकाशन कब होगा

A. सामान्यतः 01/12/2024 से एक माह के भीतर

B. सामान्यतः 06/06/2024 से तीन माह के भीतर

C. सामान्यतः 01/06/2024 से एक माह के भीतर

D. सामान्यतः 01/01/2025 से तीन माह के भीतर

16. यदि पेटेंट आवेदन आविष्कार में उपयोग किए गए जैविक पदार्थ के स्रोत अथवा भौगोलिक उत्पत्ति के स्रोत प्रकट करने में विफल रहता है अथवा उसका गलत उल्लेख करता है, तब निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई संभव नहीं है:

i. ऐसे पेटेंट आवेदन के लिए इस आधार पर अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल किया जा सकता है

ii. यह अनुदानोत्तर-विरोध दाखिल करने का आधार हो सकता है

iii. इस आधार पर प्रतिसंहरण की याचिका दाखिल की जा सकती है

iv. यदि पेटेंट पहले से अनुदानित है, नियंत्रक स्वतः संज्ञान से ऐसे पेटेंट का प्रतिसंहरण कर सकता है

A. केवल (i) और (ii) **B**. केवल (iv) **C**. केवल (i), (ii) और (iii) **D**. उपरोक्त में से कोई नहीं

17. श्री नायडू ने एक बहुत सुंदर आभूषण को डिज़ाइन किया और 01/01/2023 को उसके डिज़ाइन को पंजीकृत किया। कुछ माह के पश्चात, श्री रामाशीष ने भी मूलतः समान डिज़ाइन बनाया, और समान वर्ग में अन्य वस्तु के रूप में आवेदन करना चाहते हैं। श्री रामाशीष को उस उत्पाद के लिए विशाल बाज़ार और व्यवसाय दिखता है और वे उस डिज़ाइन के लिए बौद्धिक अधिकार (आईपी) प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। इस संदर्भ में, डिज़ाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत, निम्नलिखित में से क्या संभव है

A. श्री रामाशीष को श्री नायडू द्वारा पंजीकृत डिज़ाइन का पंजीकृत स्वामी बनना होगा,तभी उपरोक्त दूसरा डिज़ाइन पंजीकृत किया जा सकता है।

B. श्री रामाशीष समान/मूलतः समान डिज़ाइन को समान वर्ग में अन्य वस्तु हेतु पंजीकृत कर सकते हैं जहां श्री नायडू द्वारा पिछला डिज़ाइन पहले से ही पंजीकृत है।

C. चाहे पंजीकृत डिज़ाइन का स्वामी कोई भी हो, पूर्व पंजीकृत डिज़ाइन सदैव बाद में आवेदन किए गए किसी भी समान डिज़ाइन की नवीनता और मौलिकता के लिए पूर्वज्ञान होंगे।

D. उपरोक्त सभी

18. एक आविष्कार ओप्थेल्मीक सोल्यूशन कंटेनर से संबंधित है जिसका ढांचा लेमिनेट का है और जिसकी आंतरिक परत साइक्लिक ओलेफिन इंटर पॉलीमर जिसकी मोटाई 500 μm है और ऊपरी सतह पोलिथाईलिन रेज़िन जिसकी मोटाई 1,500 μm है। पूर्विक्ता दस्तावेज़ D1 परत वाली स्क़्वीज बोतल को प्रकट करता है, जिसमें आंतरिक परत 500 μm की मोटाई वाली साइक्लिक ओलेफिन इंटर पॉलीमर की है और ऊपरी (सतही) परत पोलिथाइलीन की है। बोतल की पूरी मोटाई 2,000 μm है। पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(ञ) के अंतर्गत दावा किए गए आविष्कार की नवीनता के संदर्भ में निम्नखित में से कौन सा सबसे सटीक है?

A. आविष्कार में D1 के कारण नवीनता नहीं है क्योंकि D1 दावा किए गए ओप्थेल्मीक सोल्यूशन कंटेनर की सभी आवश्यक विशेषताएँ प्रकट करता है।

B. D1 के ऊपर आविष्कार नवीन है क्योंकि D1 ऊपरी पोलिथाइलीन सतह की मोटाई नहीं बताता है।

C. आविष्कार D1 के ऊपर नवीन है क्योंकि D1 लेमिनेटेड की सम्पूर्ण मोटाई का प्रकटीकरण नहीं करता है।

D. उपरोक्त में से कोई नहीं।

19. पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) में प्रदत्त परिभाषा के अनुसार आविष्कार के संबंध में "औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम" का अर्थ यह है कि वह आविष्कार किसी _____ में _____ या _____ किया जा सकता है।

A. उद्योग, बनाया, उपयोग

B. उद्योग, निर्मित, उपयोग

C. उद्योग, उपयोग, प्रयुक्त

D. उद्योग, उत्पादित, आयातित

20. इन्नोवेट फर्मास्यूटिकल्स ने एक ड्रग पेटेंट किया जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेडवेट कॉर्पोरेशन, पेटेंट अनुदान के तीन वर्ष के उपरांत, उसी उत्पाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस (सीएल) लेने में सफल हुआ। हालांकि, एक अन्य कंपनी फार्मा थौट्स जो ड्रग निर्माण के व्यवसाय में हैं और उसी उत्पाद के बाज़ार में प्रवेश करने की इच्छुक है,उसने ये आंकड़े एकत्रित किए हैं कि मेडवेट कॉर्पोरेशन के अनिवार्य लाइसेन्स के बावजूद, भारत में उस पेटेंट के आविष्कार का क्रियान्वयन नहीं हुआ है और जनता की आवश्यकता पूरी नहीं हुई हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है?

1. फार्मा थौट्स कं. दूसरे सीएल के लिए आवेदन कर सकता है परंतु पेटेंट के प्रतिसंहरण हेतु अनुरोध नहीं कर सकता है।
2. प्रथम अनिवार्य लाइसेन्स आदेश के अनुदान की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ती के पश्चात ही फार्मा थौट्स कं. पेटेंट के प्रतिसंहरण हेतु अनुरोध दाखिल कर सकता है।
3. केवल केंद्र सरकार ही अनुदानित पेटेंट के प्रतिसंहरण का आवेदन करने के लिए पात्र है जिसके लिए एक सीएल पहले से ही अनुदानित है।
4. दोनों फार्मा थौट्स और केंद्र सरकार पेटेंट के प्रतिसंहरण हेतु अनुरोध दाखिल कर सकते हैं परंतु ऐसा वे प्रथम अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान के आदेश की तिथि से तीन वर्ष बाद ही कर सकते हैं।

A. केवल 1 **B.**केवल 2 **C.**दोनों 2 और 4 **D.**कोई नहीं

21. आपका मुवक्किल (कलाएंट) आपके सामने एक अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की इच्छा प्रकट करता है। प्रक्रिया के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आवेदन हेतु, आपके मुवक्किल (भारतीय आवेदक) को एक सक्षम अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण

(आईएसए) का चयन करना होता है। भारत सरकार ने भारतीय आवेदकों के लिए कुछ आईएसए को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की है। अधिनियम के अंतर्गत भारतीय आवेदकों के लिए इनमें से कौन सक्षम अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण नहीं है

A. ऑस्ट्रेलियन पेटेंट ऑफिस

B. औस्ट्रियन पेटेंट ऑफिस

C. स्वीडिश पेटेंट ऑफिस

D. जापान पेटेंट ऑफिस

22. 19/05/2022 को एक आविष्कार जिसका शीर्षक "स्टोरेज फैसिलिटी" था उसे पेटेंट अनुदान किया गया। 22/08/2023 को केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अनुदानित पेटेंट का शीर्षक भ्रमित करने वाला है और वास्तव में वह परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार के लिए है जिसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 20 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई भी पेटेंट अनुदान नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है

i. केंद्र सरकार, नियंत्रक को पेटेंट का प्रतिसंहरण करने के लिए निदेश दे सकती है।

ii. भारत सरकार के निदेश पर, नियंत्रक पेटेंटी व अन्य सभी व्यक्ति जिनका पेटेंट रजिस्टर में नाम है और उस पेटेंट से संबंध है उन्हें नोटिस दे कर सुनवाई का एक अवसर प्रदान कर पेटेंट का प्रतिसंहरण कर सकता है।

iii. नियंत्रक पेटेंट का प्रतिसंहरण करने के बजाय पेटेंटी को पूर्ण विनिर्देश में जैसा वह आवश्यक समझे वैसा संशोधन करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

A. केवल (i) **B.** केवल (i) और (ii) **C.** सभी (i), (ii) और (iii) **D.** उपरोक्त में से कोई नहीं

23. डिज़ाइन अधिनियम के अंतर्गत, दाखिल करने के लिए कौन पात्र है:

1. पंजीकृत डिज़ाइन को रद्द करने की याचिका	b. कोई भी व्यक्ति
2. डिज़ाइन के रजिस्टर में सुधार हेतु आवेदन	c. कोई भी इच्छुक व्यक्ति
3. डिज़ाइन के पंजीकरण के अस्तित्व संबंधी सूचना के संबंध में	d. कोई भी व्यक्ति
4. रजिस्टर की जांच और सार	e. कोई भी व्यथित व्यक्ति

A. 1-b, 2-d, 3- a, 4-c **B.** 1-c, 2-a, 3-b, 4-d **C.** 1-d, 2-b, 3- a, 4-c **D.** 1-a, 2-d, 3-c, 4-b

24. आईपीओ के जर्नल प्रकाशन में, इन्नोसोल कार्पोरेशन कंपनी को पता चला कि एक डिज़ाइन पंजीकृत हुआ है जो उसके व्यवसाय संचालन के लिए हानिकारक है। अतः कंपनी आपके पास पंजीकृत डिज़ाइन के निरस्तीकरण हेतु आयी है। इस संदर्भ में, ऐसी याचिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन/आधार लागू होगा?

1. आपका मुवक्किल (कलाएंट) इच्छुक व्यक्ति होना चाहिए
2. पंजीकरण की तिथि से पूर्व वह डिज़ाइन यूएसए के किसी प्रकाशन में प्रकाशित हो गया और भारत में नहीं
3. डिज़ाइन नवीन अथवा मौलिक नहीं है
4. डिज़ाइन में कोई सम्पदा चिह्न है

A. केवल 2 और 3 **B.** केवल 1 और 3 **C.** केवल 3 और 4 **D.** उपरोक्त सभी

25. पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत, जनहित में अनुदानित पेटेंट के प्रतिसंहरण का प्रावधान जनहित और एकाधिकार को संतुलित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। इस संदर्भ में,निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है:

A. जब केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार ऐसा मत रखती है कि पेटेंट अथवा वह तरीका जैसे वह प्रयोग किया जा रहा है, वह जनता के लिए हानिकारक है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में ऐसी घोषणा कर पेटेंट का प्रतिसंहरण कर सकते हैं।

B. जब केंद्र सरकार ऐसा मत रखती है कि कोई पेटेंट अथवा वह तरीका जैसे वह प्रयोग किया जा रहा है, वह राज्य के लिए हानिकारक है और सामान्यतः जनता के लिए हानिकारक है, तो वह पेटेंटी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान कर, इस प्रभाव का आधिकारिक राजपत्र में घोषणा कर तदोपरांत पेटेंट का प्रतिसंहरण किया मान सकती है।

C. जब केंद्र सरकार ऐसा मत रखती है कि पेटेंट अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों को नजरंदाज कर कोई पेटेंट अनुदानित किया गया है, तब वह नियंत्रक को उसका प्रतिसंहरण करने का निदेश दे सकती है और इस प्रभाव का प्रकाशन कर सकती है।

D. जब उच्च न्यायालय ऐसा मत रखती है कि कोई पेटेंट अथवा वह तरीका जैसे वह प्रयोग किया जा रहा है, वह राज्य के लिए हानिकारक है और सामान्यतः जनता के लिए हानिकारक है, तो वह पेटेंटी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान कर, इस प्रभाव का आधिकारिक राजपत्र में घोषणा कर तदोपरांत पेटेंट का प्रतिसंहरण किया मान सकती है।

26. पेटेंट नियम के प्रावधानों के अंतर्गत "रियायत अवधि" लेने के लिए निम्नलिखित में से कौनसे आधार नहीं हैं:

i. आविष्कार का प्रदर्शन सही और प्रथम आविष्कारक अथवा ऐसे व्यक्ति की सहमति से किया है जो उससे शीर्षक प्राप्त कर रहा हो किसी औद्योगिक अथवा किसी अन्य प्रदर्शनी में जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पेटेंट अधिनियम के प्रावधान विस्तारित की सहमति से किया गया है

ii. आविष्कार के किसी विवरण का प्रकाशन ऐसी किसी प्रदर्शनी में आविष्कार के प्रदर्शन अथवा उपयोग के परिणामस्वरूप हुआ है

iii. सुशिक्षित समाज के समक्ष वास्तविक एवं प्रथम आविष्कारक द्वारा किसी पत्र में आविष्कार का विवरण पढ़ा जाना अथवा ऐसे समाज के समक्ष उसकी सहमति से प्रकाशन,

A. केवल (i) और (ii) B. केवल (i) और (iii) C. केवल (iii) D.उपरोक्त में से कोई नहीं

27. 10/06/2022 को केनसन प्राइवेट लिमिटेड को एक पेटेंट अनुदान हुआ। 03/08/2022 को, उन्होने अपने प्रतिस्पर्धी अल्मा प्राइवेट लिमिटेड को सीज़-एंड-डेजिस्ट नोटिस जारी किया, यह कहते हुए कि अल्मा प्राइवेट लिमिटेड का नियोजित उत्पाद "KONDUCT" उनके संयोजन जो "REWIRE" के नाम से पेटेंट है उसका अतिलंघन करता है। केनसन प्राइवेट लिमिटेड पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अनुदत्त अनन्य अधिकार पर ज़ोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. दिनांक 03/08/2022 के सीज़-एंड-डेजिस्ट नोटिस के आधार पर अल्मा प्राइवेट लिमिटेड के पास अनुदानोत्तर विरोध दाखिल करने का उपयुक्त समय है।

B. अल्मा प्राइवेट लिमिटेड के पास अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत केवल खंड (क) से (ट) में सूचीबद्ध आधारों पर अनुदानोत्तर विरोध करने का उपयुक्त समय है न कि किसी अन्य आधार पर।

C. अल्मा प्राइवेट लिमिटेड के पास अधिनियम की धारा 25(2) के अंतर्गत केवल खंड (क) से (ट) में सूचीबद्ध आधारों पर अनुदानोत्तर विरोध करने का उपयुक्त समय है न कि किसी अन्य आधार पर।

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

28. अंतरराष्ट्रीय प्राथमिक परीक्षण की मांग किसी भी समय इसके पहले दाखिल की जा सकती है:

A. आईएसआर (ISR) और आईएसए के डबल्यूओ (WO) के जारी करने की तारीख से तीन माह, अथवा पूर्विक्ता तारीख तिथि से 22 माह के भीतर,जो भी समयसीमा पहले समाप्त हो।

B. आईएसआर (ISR) और आईएसए के डबल्यूओ (WO) के जारी करने की तारीख से छः माह, अथवा पूर्विक्ता तिथि से 22 माह के भीतर,जो भी समयसीमा पहले समाप्त हो।

C. आईएसआर (ISR) और आईएसए के डबल्यूओ (WO) के जारी करने की तारीख से तीन माह, अथवा पूर्विक्ता तिथि से 20 माह के भीतर,जो भी समयसीमा बाद में समाप्त हो।

D. आईएसआर (ISR) और आईएसए के डबल्यूओ (WO) के जारी करने की तारीख से तीन माह, अथवा पूर्विक्ता तिथि से 22 माह के भीतर,जो भी समयसीमा बाद में समाप्त हो।

परीक्षार्थी निम्नलिखित परिदृश्य देखें और उनके आधार पर प्रश्न 29 व 30 का उत्तर देंगे:

डॉ. विवेक ने टाइटेनियम से बने एक पालने (cradle) का आविष्कार किया है जिसमें एक झूला और पाँच या उससे अधिक सहयोगी ढांचे हैं, जहां पांचवा आधार ऐसे स्थापित है कि वह बेहतर सुरक्षा व संबल प्रदान करता है। पालने में खिलौने टाँगने का प्रावधान है और उसे मोड़ा जा सकता है। डॉ. विवेक द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदन के दावा 1 है:
"एक पालना जिसमें अनेक सहायक आधार हैं और खिलौने लटकाने का प्रावधान शामिल है"।

पेटेंट कार्यालय को पूर्व कला (प्रायर आर्ट) खोज में निम्नलिखित दस्तावेज़ मिले हैं जो वर्णन करते हैं:
D1: *मोड़े जाने वाले चार आधारों वाला लकड़ी का पालना जिसमें खिलौने लटकाने के लिए हुक हैं*
D2: *बिना-मोड़े जाने वाले टाइटेनियम का पालना जिसमें चार सहायक बीम हैं*
D3: *बिना-मोड़े जाने वाले एल्युमीनियम का पालना जिसमें चार सहायक बीम हैं और अनेक लटकाने वाले हुक हैं*
डॉ. विवेक ने अपने दावे का संशोधन किया है और उस दावे के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं:

1. *"एक टाइटेनियम का पालना जिसमें अनेक आधार हैं और खिलौने लटकाने का प्रावधान है"*
2. *"एक मोड़ा जाने वाला टाइटेनियम का पालना जिसमे न्यूनतम पाँच सहायक आधार है और खिलौने लटकाने का प्रावधान है"*
3. *"एक मोड़ा जाने वाला टाइटेनियम का पालना जिसमें अनेक आधार हैं और खिलौने लटकाने का प्रावधान है"*

29. संशोधित दावे के उपरोक्त में से कौन सा संस्करण उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों से नया होगा?

A. केवल 1 **B.** केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3 **D.** उपरोक्त सभी दावे नए हैं

30. संशोधित दावे में उपरोक्त में से कौन सा संस्करण उपरोक्त दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं होगा?

A. 1 और 2 केवल **B.** 2 केवल
C. 2 और 3 केवल **D.** उपरोक्त सभी दावे अस्पष्ट हैं

भाग B

भाग B1 5 **अंक का है और इसमें "कथन और तर्क" से संबंधित प्रत्येक 1 अंक वाले 5 बहु विकल्पीय प्रश्न हैं। नीचे दिए अनुसार केवल एक विकल्प** A, B, C **या** D **को चिह्नित किया जाना चाहिए:**

A. ***जब दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है***

B. ***जब दोनों (A) और (R) सत्य हैं, किन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है***

C. ***जब (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है***

D. ***जब (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है***

31. कथन (A): ट्रिप्स (TRIPS) समझौते को अक्सर बौद्धिक संपदा के संरक्षक और समान अभिगम के साधन दोनों के रूप में देखा जाता है।

तर्क (R): ट्रिप्स (TRIPS) समझौते का डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के साथ ही देशों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक वस्तुओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने की सुविधा में लचीलापन प्रदान करता है।

32. कथन (A): भारत में डिवीज़नल आवेदन दाखिल करने के लिए अनेक आविष्कारों का अस्तित्व में होना अनिवार्य नहीं है।

तर्क (R): एक पेटेंट आवेदक यदि वह चाहे तो अनंतिम अथवा पूर्ण विनिर्देश अथवा पहले से दाखिल डिवीज़नल आवेदन में प्रकट आविष्कार हेतु डिवीज़नल आवेदन दाखिल कर सकता है।

33. कथन (A): पेटेंट प्रशासन प्रणाली में पेटेंट आवेदन का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण चरण है।

तर्क (R): पेटेंट आवेदन का प्रकाशन, पेटेंट अनुदान से पूर्व आविष्कार के बारे में सूचना प्रदान कर अधिनियम के अनुसार जनता को विरोध का अवसर प्रदान करता है।

34. कथन (A): भारत में, जब किसी आविष्कार में न्यूक्लिऑटाइड अथवा अमीनो ऐसिड सीक्वेंस शामिल होता है, तब पेटेंट आवेदन के भाग के रूप में सीक्यूएन्स लिस्टिंग प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

तर्क (R): सीक्यूएन्स लिस्टिंग की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेटेंट कार्यालय विशिष्ट सीक्यूएन्स पर आधारित जैव प्रौद्योगिकी आविष्कारों की नवीनता व आविष्कारिता का उचित रूप से मूल्यांकन कर सके।

35. कथन (A): डिजाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजाइन के पंजीकरण हेतु एक स्टाम्प अथवा लेबल को एक वस्तु माना जा सकता है।

तर्क (R): वस्तु का डिजाइन के अलावा अपना स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए।

भाग B1 5 **अंक का है और इसमें प्रत्येक 1 अंक वाले सत्य/असत्य से संबंधित 5 बहु विकल्पीय प्रश्न हैं। नीचे दिए विकल्प में से एक विकल्प** A, B, C **या** D **को चिह्नित किया जाना चाहिए:**

A. ***जब कथन 1 सत्य है, और कथन 2 असत्य है***

B. ***जब कथन 1 असत्य है, और कथन 2 सत्य है***

C. ***जब दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं***

D. ***जब दोनों कथन 1 और 2 असत्य हैं***

36. **कथन 1:** पेटेंट अधिनियममें दी गई परिभाषा के अनुसार "पेटेंटकृत वस्तु" में वह वस्तु शामिल है जो पेटेंट की गई सामग्री का उपयोग करती है।

कथन 2: पेटेंट अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार, **"**पेटेंटी**"** में गैर अनन्य लाइसेंसी शामिल है।

37. **कथन 1:** पेटेंट हेतु आवेदन के अनुदान की तारीख से पूर्व अतिलंघन के संदर्भ में कोई भी मुकदमा अथवा अन्य कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती।

कथन 2: किसी मुकदमे अथवा ऐसी किसी कार्यवाही में शामिल व्यक्ति किसी पेटेंट पर इस आधार पर आपत्ति उठाने के लिए सक्षम नहीं होगा कि वह पेटेंट एक से अधिक आविष्कार के लिए अनुदान किया गया है।

38. **कथन 1:** केवल किसी डिज़ाइन का पंजीकृत स्वत्वधारी ही किसी पंजीकृत डिज़ाइन की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।

कथन 2: किसी एक विशिष्ट डिज़ाइन आवेदन में, कोई डिज़ाइन एक से अधिक वर्ग के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।

39. **कथन 1**: भारत में, जब सरकार द्वारा अधिसूचित प्रदर्शनियों में प्रदर्शन किया जाता है तब डिज़ाइन अधिनियम में रियायत अवधि पेटेंट अधिनियम के समान है।

कथन 2: पंजीकृत डिज़ाइन में, डिज़ाइन के पंजीकृत स्वत्वधारी के पास 10 वर्ष के लिए डिज़ाइन का प्रतिलिप्यधिकार होता है जिसे और 5 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

40. **कथन 1**: एक पेटेंट परिवर्धन का आवेदन किसी अन्य पेटेंट परिवर्धन के आवेदन पर दाखिल किया जा सकता है।

कथन 2: मुख्य आविष्कार अनुदान होने के उपरांत ही पेटेंट परिवर्धन अनुदान किया जा सकता है।

भाग C

<u>भाग *C*1 में 15 अंक का है। इसमें 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है</u>

41. निम्नलिखित निर्णय विधि (केस लॉ) और उनमें हाइलाइट की गई संबंधित विषय वस्तु का मिलान करें

1. माइक्रोफाइबर इंक. बनाम गिरधर & कं. (Microfibres Inc. v. Girdhar & Co)	(a) लापरवाही के लिए पेटेंट/टीएम एजेंटों के आचरण को नियमित करना
2. सौरव चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया & एएनआर (Saurav Chaudhary v. Union of India & ANR)	(b) स्टेंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स (एसईपी)/ फेयर रीज़नेबल एंड नॉन-डिस्क्रिमिनेटरी (एफ़आरएएनडी) से संबंधित न्याय-शास्त्र
3. सिंजेंटा बनाम कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स (Syngenta v. Controller of Patents)	(c) कॉपीराइट और डिज़ाइन ओवरलैप, विशिष्टता और 50 गुना नियम
4. टेलेफोनक्तिबोलगेट एलएम एरिक्सन (पब्ल.) बनाम लावा इन्टरनेशनल लिमिटेड (Telefonktiebolaget Lm Ericsson (Publ) v. Lava International Ltd.)	(d) डिवीज़नल आवेदन की विषय-वस्तु और दाखिल करने की शर्तें
5. रेक्कित बेनकिसर (इंडिया) लिमिटेड बनाम	(e) डिजाइनों की नवीनता और मौलिकता

वायथ लिमिटेड (Reckitt Benckiser (India) Ltd. v. Wyeth Ltd.)	
6. व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Whirlpool of India Ltd. v. Videocon Industries Ltd.)	(f) वस्तुओं पर लागू करने के लिए डिजाइन के स्वामी का अधिकार

A. 1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-f, 6-e
B. 1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-f, 6-c
C. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b, 5-e, 6-f
D. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b, 5-e, 6-f

42. डिज़ाइन अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुछ डिज़ाइनों को पंजीकृत/प्रकाशित करने पर प्रतिबंध है। इस संदर्भ में, विषय-वस्तु को उचित धारा से मिलाएं

1. एक कुर्सी का डिज़ाइन जो किसी क्लासिक आइकॉनिक कुर्सी डिज़ाइन के लगभग समान है, जिसे कई देशों में संरक्षित किया गया है और जिसने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।	a. धारा 4(ख)
2. रक्षा में उपयोग होने वाले ऊपरी परिधानों पर लगाया गया एक छलावरण पैटर्न	b. धारा 46(क)
3. एक जूते के लिए डिज़ाइन आवेदन जिसमें धार्मिक प्रतीक उत्कीर्ण है	c. धारा 35(1)
4. ताजमहल के फाइबर ग्लास मॉडल के लिए डिज़ाइन आवेदन	d. धारा 4(क)
5. रसोई के बर्तनों का लक्जरी डिज़ाइन जिसमें अमूर्त आकृतियाँ हैं जो सूक्ष्म रूप से नग्न मानव शरीर के अंगों से मिलती जुलती हैं	e. धारा 4(घ)

A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e
B. 1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c
C. 1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e
D.1-c, 2-a, 3-d, 4-b, 5-e

43. बौद्धिक संपदा से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संदर्भ में, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें

1. सीआईपीएएम (CIPAM)	a. विकासशील देशों में नवोन्मेषकों हेतु वाइपो का सहयोग कार्यक्रम
2. एनआईपीएएम (NIPAM)	b. उच्च शिक्षण संस्थान हेतु आईपी कार्यक्रम
3. टीआईएससी (TISC)	c. आईपी जागरूकता मिशन कार्यक्रम
4. आईपी सारथी (IPSaarthi)	d. आईपी संवर्धन के लिए व्यावसायिक निकाय
5. केएपीआईएलए (KAPILA)	e. प्रौद्योगिकी सक्षम आईपी सहायक

A.1-c, 2-d, 3-e, 4-b, 5-a
C. 1-c, 2-d, 3-b, 4-e, 5-a
B. 1-d, 2-c, 3-e, 4-a, 5-b
D.1-d, 2-c, 3-a, 4-e, 5-b

44. पेटेंट अधिनियम और नियम के प्रावधानों के अधीन, कुछ आवश्यकताओं को पूर्ण न करने पर पेटेंट आवेदन/ अनुदानित पेटेंट के कुछ संभावित परिणाम होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें

कार्रवाई	संभावित परिणाम
1. अनंतिम विनिर्देश के 12 माह के अंदर पूर्ण विनिर्देश नहीं दाखिल हो	a. प्रत्यावर्तित माना जाएगा
2. गोपनीयता अनुदेश का उल्लंघन	b. प्रत्याहरित माना जाएगा
3. सरकार का मानना है कि उचित प्रक्रिया के बाद भी पेटेंट आम जनता के लिए हानिकारक है	c. परित्यक्त माना जाएगा
4. निर्दिष्ट समयावधि में अंतरराष्ट्रीय आवेदन राष्ट्रीय चरण में दाखिल न होने पर	d. परित्यक्त किया गया माना जाएगा
5. अनुदानोत्तर विरोध में निर्दिष्ट समयावधि के दौरान पेटेंटी अपना उत्तर व साक्ष्य प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है	e. प्रत्यावर्तित माना जाएगा

A. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b, 5-e

B. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c, 5-e

C. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a, 5-e

D. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e

45. पेटेंट अधिनियम, पेटेंटधारक को कुछ अधिकार प्रदान करते हुए, अनन्य अधिकारों के बीच संतुलन हेतु कुछ अपवाद और सीमाएं भी शामिल करता है। इस संदर्भ में, बहिष्करण/सीमा के विषय को नीचे दी गई उपयुक्त उपलब्धता और धाराओं से मिलाएं

विषय	अधिनियम/नियमों में प्रावधान की उपलब्धता
1. अधिकारियों से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पेटेंट उत्पाद बनाने के लिए कार्य करना, अतिलंघन नहीं है	a. कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं
2. प्रायोगिक उपयोग और/या वैज्ञानिक अनुसंधान का अर्थ अतिलंघन नहीं है	b. धारा 107क(ख)
3. पेटेंट अधिकारों का अतिलंघन किए बिना विदेशी जहाजों, विमानों और भूमि वाहनों पर वस्तुओं का उपयोग, अतिलंघन नहीं है	c. धारा 107क(क)
4. किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून के तहत विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति से आयात किए जाने पर पेटेंट अधिकारों की समाप्ति	d. धारा 47(3)
5. किसानों और/या प्रजनकों द्वारा पेटेंट किए गए आविष्कारों के उपयोग से संबंधित अपवाद और सीमाएं	e. धारा 49

A.1-b, 2-d, 3-e, 4-c, 5-a

B.1-c, 2-d, 3-e, 4-b, 5-a

C. 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a

D. 1-d, 2-a, 3-e, 4-b, 5-c

<u>भाग C2 15 अंक का है। इसमें 5 प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है।</u>

46. उचित परीक्षण प्रक्रिया के पश्चात, प्रदूषित हवा और पानी को कुशलतापूर्वक साफ करने के लिए श्री समयवीर को 19/05/2024 को पेटेंट प्रदान किया गया। श्री समयवीर नवीनीकरण शुल्क के भुगतान के बारे में व्यावसायिक सलाह

के लिए आपके पास आते हैं। नवीनीकरण शुल्क के भुगतान के बारे में श्री समयवीर को दी जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी सलाह सही है/हैं:

i. अनुदत्त पेटेंट को प्रवृत्त रखने के लिए, नवीनीकरण शुल्क पेटेंट की तारीख से द्वितीय वर्ष के या किसी उत्तरवर्ती वर्ष के अवसान पर देय होगा और वह द्वितीय वर्ष के या उत्तरवर्ती वर्ष के अवसान से पूर्व पेटेंट कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।

ii. चूंकि पेटेंट की प्रकृति प्रदूषित वायु और जल को कुशलतापूर्वक साफ करके सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने की है, इसलिए इसके रखरखाव के लिए नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

iii. जहां दो या अधिक वर्षों के लिए देय नवीनीकरण शुल्क कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अग्रिम रूप से भुगतान किया जाता है, ऐसे नवीनीकरण के लिए शुल्क में 20% की कटौती लागू होगी।

iv. कम से कम 4 वर्षों के लिए नवीनीकरण शुल्क के अग्रिम भुगतान के मामले में शुल्क में केवल 10% की कटौती लागू होगी, जब शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के भौतिक माध्यम से किया जाता है।

A. केवल (i) और (ii) **B.**केवल (iii) और (iv) **C.** केवल (ii) **D.**केवल (i)

47. आपका एक विदेशी कलाएंट है जो एक छोटी कंपनी है। भारत में पेटेंट के लिए आवेदन करते समय, कंपनी छोटी इकाई (भारत में परिभाषा के अनुसार) होने के कारण कम शुल्क का लाभ उठाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं ?

1. सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अधिनियम के अनुसार लघु इकाई शुल्क का लाभ केवल भारतीय एसएमई द्वारा ही लिया जा सकता है।

2. आपका ग्राहक लघु इकाई होने के अपने दावे के समर्थन में कोई अन्य सहायक दस्तावेज़ दाखिल करके लाभ उठा सकता है।

3. यदि विदेशी कंपनी भारत में एसएमई के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है तो वह शुल्क कटौती का लाभ उठा सकती है।

4. उन्हें एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत पंजीकरण का प्रमाण दाखिल करना होगा।

A. केवल 1 **B.**केवल 2 **C.** 2 और 3 दोनों **D.** 1 और 4 दोनों

48. हाल ही में वायपो के सदस्य देशों ने बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर वायपो संधि को अपनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस के संबंध में सही नहीं है/हैं

i. संधि का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के संबंध में पेटेंट प्रणाली की प्रभावकारिता, पारदर्शिता और गुणवत्ता को बढ़ाना है, और उन आविष्कारों के लिए गलत तरीके से पेटेंट दिए जाने से रोकना है जो आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के संबंध में नए या आविष्कारशील नहीं हैं।

ii. यह पहली वायपो संधि है जिसमें विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

iii. संधि पेटेंट आवेदकों के लिए एक वैकल्पिक पेटेंट प्रकटीकरण आवश्यकता स्थापित करती है, जिसमें उन्हें आनुवंशिक संसाधनों के मूल देश और/या संबंधित पारंपरिक ज्ञान प्रदान करने वाले स्वदेशी लोगों या स्थानीय समुदाय का खुलासा करना होता है, यदि दावा किए गए आविष्कार आनुवंशिक संसाधनों और/या संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हैं।

iv. पेटेंट कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि वे ऐसे खुलासों की प्रामाणिकता सत्यापित करें।

v. इस संधि के लागू होने से पहले दाखिल किए गए पेटेंट आवेदनों को संधि के दायित्वों का पालन करने के लिए बारह महीने की छूट अवधि मिलेगी।

vi. यह संधि किसी भी पात्र पक्ष द्वारा इसके अपनाए जाने के बाद एक वर्ष तक, यानी 23 मई, 2025 तक हस्ताक्षर के लिए खुली है। यह संधि 15 पात्र पक्षों द्वारा अपने अनुसमर्थन (रेटिफिकेशन) या परिग्रहण (एक्सेशन) के दस्तावेज जमा करने के तीन महीने बाद लागू होगी।

A. केवल (ii) और (iv) **B.**केवल (iii) और (iv) **C.** केवल (iii), (iv) और (v) **D.**केवल (vi)

49. पेटेंट अधिनियम या डिजाइन अधिनियम और नियमों में दिए गए नियंत्रक के निम्नलिखित कार्यों या आदेश या शक्तियों में से कौन सा/से अपील योग्य नहीं है/हैं?

i. नियंत्रक डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत डिजाइन को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है।

ii. नियंत्रक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदनों का निपटान

iii. नियंत्रक, पेटेंटधारी के आवेदन पर धारा 84 के अंतर्गत दिए गए अनिवार्य लाइसेंस को समाप्त कर देता है, जब अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने की परिस्थिति अब मौजूद नहीं है।

iv. नियंत्रक, किसी पात्र व्यक्ति के आवेदन पर, डिजाइन रजिस्टर को सुधारने का आदेश दे सकता है।

v. नियंत्रक आविष्कार के संबंध में सूचना के प्रकाशन को निषेध करने का या प्रतिबन्धित करने के लिए निदेश दे सकता है, जब नियंत्रक को ऐसा प्रतीत हो कि आविष्कार भारत की रक्षा के लिए प्रासंगिक है।

A. केवल (i) और (ii) **B.**केवल (iii) और (iv) **C.**केवल (ii) और (v) **D.** केवल (iv) और (v)

50. प्रचलित पेटेंट अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई (कार्रवाइयों) के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है:

i. आवेदन के प्रत्याहरण हेतु आवेदन

ii. भारत में व्यावसायिक पैमाने पर पेटेंट प्राप्त आविष्कार के क्रियान्वयन के संबंध में कथन दाखिल करना

iii. पूर्विक्ता दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति तैयार करने के लिए और वायपो डेस (डबल्यूआईपीओ डीएएस) के माध्यम से ई-पारेषण (ई-ट्रांसमिशन)

iv. अंतरराष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण शुल्क (ईपीसीटी फाइलिंग के लिए)

v. पेटेंट का परित्याग

A. केवल (i), (ii) और (iii) **B.**केवल (i), (ii)और (iv)

C. केवल (i), (ii), (iii) और (iv) **D.**सभी (i), (ii), (iii), (iv) और (v)

----------प्रश्नपत्र का अंत----------